क्रम संख्या–07 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 27 जनवरी, 2021 ई0

माघ 07, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 26/XXXVI(3)/2021/79(1)/2020

देहरादून, 27 जनवरी, 2021

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक, 2020'** पर दिनांक 22 जनवरी, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 05, वर्ष–2021** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान अधिनियम, 2020

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2021)

उत्तराखण्ड राज्य के शहीदों की विधवा/आश्रितों को एकमुश्त अनुग्रह अनुदान की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्हत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो--

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "**उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान अधिनियम, 2020** है।

(2) यह ऐसे रक्षा बलों व अर्द्धसैनिक बलों के जवानों की विधवाओं/आश्रितों, जो युद्धों, सीमान्त झड़पों तथा आंतरिक सुरक्षा में दिनांक 05 मार्च 2014 को अथवा उसके पश्चात उक्त जंगी कार्रवाई (आपरेशन) में शहीद हुए हो तथा उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हो, पर लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में :–

(क) "सीमान्त झड़प" से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, नियत्रण रेखा, वास्तविक नियत्रण रेखा पर दुश्मन या आतंकवादियों के साथ युद्ध जैसी गतिविधियों अभिप्रेत है;

(ख) "आश्रित" से शहीद जवान पर पूर्णतः आश्रित उसके परिवार के सदस्य अभिप्रेत है एवं इसमें माता–पिता, विधवा, बेरोजगार पुत्र जिनकी आयु 25 वर्ष से कम है तथा अविवाहित, वेरोजगार, विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री सम्मिलित है;

(ग) "निदेशालय" से सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।

(घ) "अनुग्रह अनुदान" से सरकार द्वारा शहीद के आश्रितों को दी गयी एकमुश्त अनुदान राशि अभिप्रेत है;